



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिभार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 299]
No. 299]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 16, 1983/श्रावण 25, 1905
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 16, 1983/SRAVANA 25, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1983

सा० का० नि० 625 (अ).—केन्द्रीय सरकार,
भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की
धारा 17 और धारा 6 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम विभाग की
अधिसूचना सं० एम-1268(1), तारीख 9 जनवरी, 1939
को अधिकांत करते हुए,

- (1) यह घोषित करती है कि —ऐसीटिलीन को,
- (क) जब वह द्रव्य हो, या
- (ख) जब वह किसी ढाब के अधीन हो,
- (ग) जब वह किसी भी अनुपात में और किसी
भी दाब पर वायु या आक्सीजन के साथ
अधिमिश्रण में हो, और

(घ) चाहे अन्य पदार्थों के साथ अधिमिश्रण में हो या
न हो, उक्त अधिनियम के अर्थ के अन्तर्गत विस्फो-
टक समझा जाएगा ; और

(2) एस ऐसीटिलीन के जिसे इसमें उपाबद्ध अनुसूची
में उल्लिखित अपवादों के अधीन रहते हुए इस अधिसूचना
द्वारा विस्फोटक के रूप में घोषित किया गया है और जब
उसमें गैस सिलिण्डर नियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार
ऐसीटिलीन या अन्य अनुमोदित विलायक के साथ किसी समांगी
संरन्ध्र पदार्थ हो, विनिर्माण कक्षा, परिवहन और आयात
को पूर्ण रूप से प्रतिषिद्ध करती है ।

अनुसूची

1. यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि
कोई ऐसीटिलीन विस्फोटक गुणों से युक्त नहीं है तो वह उसे
आदेश द्वारा इस अधिसूचना के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी ।
2. वायु या आक्सीजन के साथ अधिमिश्रण में कोई
ऐसीटिलीन जब ऐसा अधिमिश्रण निम्नलिखित में होता है—
(क) केवल बर्नर या अन्य प्रयुक्ति में जिसमें मिश्रण
दाघ किए जाने के लिए आशियित है ।

(ख) अनिवार्यतः वाणिज्यिक रूप से शुद्ध ऐसीटिलीन के उत्पादन करने को दृष्टि से उचित तौर पर डिजाइन किए गए और निर्मित किसी साधित्र के पहली बार प्रयोग या पुनः चार्ज करने में ।

3. तेल गैस (अर्थात् खनिज तेल से विनिर्मित किसी गैस) के साथ अधिमिश्रण में और सम्पीडन के अधीन कोई ऐसीटिलीन, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं अर्थात् :—

- (क) केवल ऐसी प्रक्रिया द्वारा ऐसीटिलीन का उत्पादन किया जाएगा, जो मुख्य विस्फोटक नियंत्रक अनुमोदित करे ;
- (ख) ऐसीटिलीन का अनुपात ऐसीटिलीन और तेल गैस के मिश्रण के प्रत्येक सौवें भाग में मात्रा में पचासवां भाग से अधिक नहीं होगा ;
- (ग) गैसों के सम्पीडन के अधीन रखने से पूर्व ऐसीटिलीन और तेल गैस को एक साथ किसी कोष्ठ या पात्र में मिश्रित किया जाएगा ; और
- (घ) मिश्रण को 1.55 कि०ग्रा०/से० मी० 2 (1550 से० मी० जल कालम) से अधिक दाब के अधीन नहीं रखा जाएगा ।

4. कोई ऐसा ऐसीटिलीन जिसे 1.55 कि०ग्रा०/से०मी०² (1550 से० मी० जल कालम) से अधिक दाब के अधीन रखा जाता है बशर्ते कि इसका विनिर्माण किसी साधित्र में किया जाता है और इसे इसके नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित परिसरों में रखा जाता है—

परन्तु यदि साधित्र का डिजाइन इस प्रकार का है कि उसे किसी एक समय में दो किलोग्राम से अधिक कैल्सियम कार्बाइड के चार्ज की अपेक्षा नहीं है तो, परिसरों को बाबत अनुमोदन की आवश्यकता नहीं हो सकेगी ।

शर्तें

1. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा लिखित में अनुमोदित सरकार के किसी साधित्र में ऐसीटिलीन का विनिर्माण किया जाता है या उसे रखा जाता है ।

(साधित्र के अन्तर्गत जल के साथ कैल्सियम-कार्बाइड के पारस्परिक क्रिया द्वारा ऐसीटिलीन के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त फिटिंगों सहित कोई साधन भी है)

2(क) साधित्रों का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि चूना आपक, गैस या जल फीड के मार्ग के लिए आयोजित किसी पाइप में न जा सके या उसे अवरुद्ध न कर सके । बार-बार अवरुद्धता से बचने के लिए आपक बहाव या निकास काफी बड़ा होगा ।

(ख) जल प्रमापी, दर्श पेडिकाओं में कांच के उपयोग से बचा जाएगा किन्तु जहाँ साधित्र के भाग रूप कांच की व्यवस्था नितान्त आवश्यक है वहाँ उसे

विभंग या खंडन मद्दे प्रभावी रूप से संरक्षित किया जाएगा ।

- (ग) साधित्र का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि टोटियों के गलत परिचालन से भी उत्पादन कोष्ठकों समुचित करना संभव न हो ।
- (घ) किसी जनित्र में जलस्तर के उपर खाली स्थान इतना छोटा होगा जितना साधित्र के समुचित कार्यकरण से संगत हो ।
- (ङ) 70 प्रतिशत से अधिक तांबा वाला कोई धातु साधित्र के किसी भाग में नहीं होगा ।
- (द) साधित्र के विभिन्न भाग किन्हीं ऐसे दाबों को जो उसमें उत्पन्न हो, सहन करने के लिए पर्याप्त शक्ति के होंगे ।
- (छ) गैस को ले जाने वाली पाइपों का आकार उत्पादन की अधिकतम दर के अनुपात में होगा जिससे कि उपरोधी से अनुचित उल्टा दाब उत्पन्न न हो ।

3. साधित्र में ऐसीटिलीन गैस का उत्पादन उतनी तेजी से करने की व्यवस्था होगी जितनी तेजी से उसका उपभोग किया/उसे निकाला जा सकता हो, और वह गैस-निकास बंद होने या गैस होल्डर भर जाने पर तुरंत उत्पादन करना बंद कर दे ।

4. साधित्र की क्षमता कम से कम 90 प्रतिशत होगी ।

5. साधित्र के किसी भाग का तापमान, जब वह कार्य कर रहा हो, 90° सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होगा । साधित्र के उन भागों के तापमान को अभिविधित करने के लिए, जहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उपयुक्त साधनों की व्यवस्था की जाएगी :

परन्तु यदि मुख्य नियंत्रक के समाधानप्रद रूप में दर्शित किया गया हो कि किसी उत्पादक साधित्र में उच्चतर तापमान आवश्यक है और ऐसा उच्चतर तापमान का उपयोग बिना खतरे के किया जा सकेगा तो मुख्य नियंत्रक, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह विनिर्दिष्ट करे, उच्चतर तापमान के उपयोग की अनुज्ञा दे सकेगा ।

6. (क) प्रयुक्त साधित्र को 0.15 कि०ग्रा०/से० मी० 2 (150 से० मी० जल कालम) से अधिक दाब पर कार्य करने नहीं दिया जाएगा :

परन्तु मुख्य नियंत्रक के समाधानप्रद रूप में यह दर्शित किया गया है कि किसी उत्पादक साधित्र में उच्चतर दाब आवश्यक है और ऐसा उच्चतर दाब का उपयोग बिना खतरे के किया जा सकेगा जो मुख्य नियंत्रक, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह विनिर्दिष्ट करे, अधिकतम 1.55 कि०ग्रा०/से० मी०² (1550 से० मी० जल-कालम) तक उच्चतर दाब का उपयोग करने की अनुज्ञा दे सकेगा ?

(ख) साधित्र के उपयोग में, गैस के मार्ग के रुकने और उसके परिणामस्वरूप दाब में वृद्धि के खतरे को ध्यान में रखा जाएगा (अर्थात् यद्यपि गैस संभरण कटा हो या कोई पाइप अवरुद्ध हो, जनित्र का दाब उसके डिजाइन कार्यकरण दाब से अधिक नहीं होना चाहिए)।

7. (क) साधित्र से गैस के निकलने को रोकने के लिए पर्याप्त पूर्वावधानियां करती जाएंगी।

(ख) गैस होल्डरों का, खुली हवा में किसी उपायुक्त बिन्दु तक ले आकर स्फोट पृथक्करण पाइपों से जोड़ा जाएगा। गैस होल्डर के अन्तर्गत और निर्गम में उपविराम वाल्वों की जो आपातकाल में आसानी से बंद किए जा सकते हैं, व्यवस्था की जाएगी।

8. (क) कारबाइड को साधित्र में पूरी तरह से अपघटित कर दिया जाएगा जिसमें कि उससे निकला चूना आपक और अधिक गैस उत्पन्न न कर सके।

(ख) साधित्र कार्बाइड के अपघटन से कोई कोलतारी या अन्य भारी संघनन उत्पाद नहीं देगा।

9. (क) सभी अपशिष्ट को इकट्ठा करने के लिए खुली वायु में एक खुली टकी की व्यवस्था की जाएगी और ऐसा अपशिष्ट ऐसा टंकी में इसके चार गुने से अन्यून जल ढेर में कम से कम दस घंटे तक रहेगा।

(ख) किसी चूना आपक को तालियों में निकल जाने से रोकने के लिए पूर्वावधानियां बरती जाएंगी।

(ग) चूना आपक को इकट्ठा करने के लिए प्रयुक्त किसी टंकी से 90 मीटर के भीतर कोई ज्वलन स्रोत नहीं लाया जाएगा।

10. साधित्र में ऐसी तक्षम व्यवस्था होगी जो यथास्थिति, जनित्र का गैस होल्डर के ऐसीटिलीन परिवान पाइप से किसी व्युत्क्रमी को प्रभावी रूप से रोकने में समर्थ हो।

11. किसी ऐसे शेड के भीतर जिसमें ऐसीटिलीन उत्पादन के लिए साधित्र है और ऐसे शेड के 15 मीटरों के भीतर वाले सभी विद्युत मोटरें, दीपें, स्विचें और अन्य फिटिंगें भा० मा० 2148 के अनुरूप ज्वालारोधी संनिर्माण के और मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्रकार के होंगे।

12. (क) ऐसीटिलीन उत्पादक साधित्र को उपयुक्त अज्वलनशील सामग्री के बने हल्के निमित्त शेड में संस्थापित किया जाएगा।

(ख) शेड को निचले स्तर के निकट और छत के निकट पर्याप्त रूप से संवातित किया जाएगा।

(ग) उपयुक्त चालकीय सामग्री से आच्छादित और भूतल से कम से कम 60 सें० मी० ऊपर उठे हुए कंक्रिट के फर्श की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(घ) बचाव द्वार बाहर की ओर खुलने चाहिए और उसका विकास सीधे खुले स्थान तक होना चाहिए। उनका स्थान और संख्या ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपातकाल की दशा में बाहर निकलने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो सकें।

13. किसी साधित्र वाले शेड की दूरी किसी आक्सीजन विनिर्माण संयंत्र भवन से कम से कम 30 मीटर, किसी वायु-ग्रहण बिंदु से 90 मीटर, आपक टंकी से 9 मीटर और किसी अन्य संरक्षण संकर्म से 15 मीटर पर होगी।

परन्तु विलीन ऐसीटिलीन सिलेंडर भरण तथा संचयन शेड और कार्बाइड संभयन शेड, ऐसीटिलीन उत्पादन के लिए किसी साधित्र वाले शेड से लगे हुए हो सकेंगे और ऐसी दशा में उपर्युक्त वर्णित दूरी का पूर्ण भवन से अनुपालन किया जाएगा।

14. सभी साधित्र, मशीनरी और अन्य उपस्कर सभी समय दक्षता से भू-संपर्कित किए जाएंगे। भू-संपर्कित संबंधनों का वर्ष में कम से कम एक बार परीक्षण किया जाना चाहिए और ऐसे सभी परीक्षणों का अभिलेख रखा जाना चाहिए।

15. शत 11, 12, 13 और 14 की कोई बात किसी ऐसे डिजाइन के साधित्र को लागू नहीं होगी जिसमें कैल्सियम कार्बाइड एक किसी एक समय में दो किलोग्राम से अधिक का चार्ज अपेक्षित है परन्तु यह तब जब कि उसे भवन के भाग रूप किसी ऐसे कक्ष में रखा जाता है जिसमें खुले स्थान सड़क की ओर जाने वाला कोई उपयुक्त विकास हो।

16. किसी साधित्र या संबद्ध वितरण प्रणाली का कोई भाग, परिवेश ताप पर उसे लागू बिना वहीं खोला जाएगा और ग्वाला या ऊष्मा से कोई मरम्मत तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि साधित्र और संबद्ध वितरण प्रणाली तथा वातावरण को ऐसीटिलीन गैस से मुक्त नहीं कर दिया जाता। सभी मरम्मतें किसी अनुभवी व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन की जाएंगी।

17. साधित्र के भोग संबंधी अनुदेशों को साधित्र के निकट सामोप्य प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

[फा० सं० 10(8)/72/डी पी आर/ई जी जी]
ए० पी० सरबन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 1983

G.S.R. 625(E).—In exercise of the powers conferred by, sections 17 and 6 of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884) and in supersession of the notification of the Government of India in the late Department of Labour No. M-1268(1),

dated the 9th January, 1939, the Central Government hereby :—

- (1) declares that acetylene,
 - (a) when liquid, or
 - (b) when subject to any pressure, or
 - (c) when in admixture with air or oxygen in whatever proportion and at whatever pressure, and
 - (d) whether or not in admixture with other substances,
 shall be deemed to be an explosive within the meaning of the said Act; and
- (2) prohibits absolutely the manufacture, possession, transport and importation of such acetylene as is declared by this notification to be an explosive subject to the exceptions mentioned in the Schedule annexed hereto and when it is contained in a homogeneous porous substance with acetone or other approved solvent in accordance with the provisions of the Gas Cylinders Rules, 1981.

SCHEDULE

1. Any acetylene which the Central Government, on being satisfied, that it is not possessed of explosive properties may by order exempt from the operation of this notification.

2. Any acetylene in admixture with air or oxygen when such admixture takes place—

- (a) only in a burner or other contrivance in which the mixture is intended to be burnt,
- (b) unavoidably, in the first use or recharging of an apparatus properly designed and constructed with a view to the production of commercially pure acetylene.

3. Any acetylene in admixture with oil-gas (that is to say, a gas manufactured from mineral oil) and under compression if the following conditions are fulfilled, namely :—

- (a) the acetylene shall be generated only by such process as may be approved by the Chief Controller of Explosives;
- (b) the proportion of acetylene shall not exceed fifty parts by volume in every one hundred parts of the mixture of acetylene and oil gas;
- (c) the acetylene and oil-gas shall be mixed together in a chamber or vessel before the gases are subject to compression; and

(d) the mixture shall not be subjected to a pressure exceeding 1.55 kg/cm^2 (1550 cm. water column).

4. Any acetylene which is subjected to a pressure not exceeding 1.55 kg/cm^2 (1550 cm. water column) so long as it is manufactured in an apparatus and kept in a premises approved by the Chief Controller subject to the conditions mentioned hereunder—

Provided that approval in respect of premises may not be necessary if the apparatus is of a design not requiring a charge of Carbide of Calcium exceeding two kilogrammes at any one time.

CONDITIONS

1. Acetylene is manufactured or kept in an apparatus of a type approved in writing by the Chief Controller of Explosives (apparatus includes any appliance inclusive of fittings used for the manufacture of acetylene gas by interaction of Carbide of Calcium with water).

2. (a) The apparatus shall be so constructed that lime sludge cannot gain access to or clog any pipe intended for the passage of gas or the water feed. Sludge overflow or outlet shall be large enough to avoid frequent clogging;
- (b) The use of glass in water gauge, sight boxes, shall be avoided, but where provision of glass is absolutely necessary as part of the apparatus it shall be effectively protected against fracture or fragmentation.
- (c) The apparatus shall be so constructed that it is not possible, even by incorrect manipulation of cocks, to seal the generating chamber hermetically.
- (d) The empty space above the water level in a generator shall be as small as is consistent with the proper working of the apparatus.
- (e) No metal containing more than 70 per cent of copper shall be present in any portion of the apparatus.
- (f) The various parts of the apparatus shall be of adequate strength to withstand any pressures that may be generated therein.
- (g) The size of the pipes carrying the gas shall be proportional to the maximum rate of generation, so that undue back pressure from throttling may not occur.

3. The apparatus shall have an arrangement to generate acetylene gas as fast as it can be

used/removed and must stop generating immediately the gas delivery is closed, or the gas holder is filled.

4. The apparatus shall have an efficiency of at least 90 per cent.

5. The temperature of any part of the apparatus when working shall not exceed 80 degree C. Suitable means for ascertaining the temperature of those parts of apparatus where heat is liable to be generated shall be provided :

Provided that if it be shown to the satisfaction of the Chief Controller that a higher temperature is necessary in any generating apparatus and that such higher temperature may be used without danger, the Chief Controller may allow the use of higher temperature under such conditions as he may specify.

6. (a) The apparatus used shall not be made to work at a pressure exceeding 0.15 kg/cm^2 (150 cm water column) :

Provided that if it be shown to the satisfaction of the Chief Controller that a higher pressure is necessary in any generating apparatus and that such higher pressure may be used without danger, the Chief Controller may allow the use of higher pressure upto a maximum of 1.55 kg/cm^2 (1550 cm water column) under such conditions as he may specify.

(b) In the use of the apparatus, regard shall be had to the danger of stoppage of passage of the gas and consequent increase of pressure (i.e. even if the gas supply be cut off or any of the pipes become blocked, the pressure in the generator must not exceed its design working pressure).

7. (a) Adequate precautions shall be taken to prevent any escape of gas from the apparatus.

(b) Gas holders shall be fitted with blow off pipes carried upto a suitable point in the open air. The inlet and outlet of gas holder shall be provided with shut-off valves which can be easily closed in an emergency.

8. (a) The carbide shall be completely decomposed in the apparatus, so that the lime sludge discharge therefrom shall not be capable of generating more gas.

(b) The apparatus shall give no tarry or other heavy condensation products from the decomposition of the carbide.

9. (a) An open tank shall be provided in the open air for the reception of all residue and such residue shall remain for at least ten hours in not less than four times its bulk of water in such tank.

(b) Precautions shall be taken to prevent any lime sludge from being discharged into the drains.

(c) No source of ignition shall be brought within 9 metres from a tank used for reception of lime sludge.

10. An apparatus shall have an efficient arrangement capable of effectively preventing a flash back from the acetylene delivery pipe to the generator or to the gas holder, as the case may be.

11. All electrical motors, lights, switches and other fittings inside a shed housing an apparatus for acetylene generation and within 15 metres of such shed shall be of flame proof construction conforming to IS : 2148 and of a type approved by the Chief Controller.

12. (a) Acetylene generating apparatus shall be installed in a lightly constructed shed made of suitable non-flammable materials.

(b) The shed shall be adequately ventilated near the ground level and near the roof.

(c) A concrete floor covered with suitable conductive material and raised at least 60 cms. above the ground level should be provided.

(d) Escape doors must open outwards and give direct exit to the open space. Their position and number must be such as to provide adequate means of exit in the event of an emergency.

13. The shed housing an apparatus shall maintain distance not less than 30 metres from an Oxygen manufacturing plant building, 90 metres from an air-intake point, 9 metres from sludge tank and 15 meters from any other protected works :

Provided that dissolved acetylene cylinder filling-cum-storage shed and carbide storage shed may be adjoining the shed housing an apparatus for acetylene generation and in such case the above mentioned distances shall be observed from the entire building.

14. All apparatus, machinery and other equipment shall be efficiently earthed at all times. The earthing connections should be tested at least once in a year and record of all such tests maintained.

15. Nothing in conditions 11, 12, 13 and 14 shall apply to an apparatus of a design requiring charge of carbide of calcium not exceeding 2 kgs. at any one time provided the same is kept in a room forming part of building with a suitable exit leading to open space/road.

16. No part of an apparatus or connected distribution system shall be opened without bringing

it down to the ambient temperature and no repair with flame or heat shall be carried out unless the apparatus and connected distribution system and the surroundings are made free of acetylene gas. All repairs shall be carried out under the supervision of an experienced person.

17. Instructions as to the use of the apparatus shall be prominently exhibited on or in close proximity to the apparatus.

[File No. 10(8)/72/DPR/EGG]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.